न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार न्योल (R.A.S.) दायर दिनांक– 28.07.2020

प्रकरण संख्या–28/2020 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक– 27.01.2023

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी प्रभुलाल जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

–वादिया–

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र बदीलाल जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
2. देवीलाल पुत्र रामा जी जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
3. रजीना पत्नी भँवरलाल जाति–मीणा निवासी–देपुर तहसील–ऋषभदेव जिला–उदयपुर (राज.)
4. रूपसी पुत्र रामा जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
5. सींगा पुत्र रामा जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार साहब खैरवाड़ा तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् घोषणा, पॉति–बंटवॉड़ा एवं निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज. भू–अभिधृति अधिनियम

वादियां के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बंजारिया की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की आराजी 2840/2519 रकबा 0.50 हैक्टर की कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं खाते की है। जिसमें वादिया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 01,02,04,05 प्रत्येक का क्रमशः 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 3/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादिया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि के मौके पर जल भराव होने से काफी वर्षों से खाली पड़ी हुई है। जिसमें घास उत्पन्न होती है सभी सहखातेदार अपने हिस्से अनुसार काट कर ले जाते है। वादग्रस्त भूमि का वादियां एवं प्रतिवादीगण के मध्य माप एवं सीमाओं के आधार पर कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 तक के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई। तथा वे षडयन्त्र पूर्वक मिलकर अपनी दुर्मशा की पूर्ति हेतु उपरोक्त वर्णित आराजी में रोड से सटे भाग पर अकेले ही काबिज होना चाहते है। तथा वादियां को बेदखल कर देने की मंशा से दिनांक 26.07.2020 को सुबह 9:00 बजे के लगभग प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादियां संख्या 03 का पति श्री भंवरलाल जेसीबी की मशीन से खुदाई करने लगे तथा उक्त भूमि जो की मुख्य सड़क से नीचे है जिसका भराव करने के लिए डम्पर से मलबा शुरू कर दिया तथा संयुक्त खाते की भूमि को खुर्द–बुर्द करने लगे जिसकी जानकारी होते ही वादिया मौके पर गयी एवं विरोध किया तो प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 ने वादिया व उसके पुत्र के साथ गाली–गलोच किया तथा मरने मारने पर ऊतारू हो गये। प्रतिवादी न. 01 ने वादिया व उसके पुत्र को धमकी दी कि पुलिस भी हमारे साथ है तुम्हारा जो करना हो कर लेना। वादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना खैरवाड़ा में दी गयी परन्तु पुलिस थाना खैरवाड़ा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रतिवादीगण जोर जबरन रोड पर सटे भाग पर अकेले काबिज होने की मंशा से वादिया के साथ झगड़ा करना–फसाद कर भूमि हडपना चाहते है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का विधिवत माप व सीमाओं द्वारा पांति–बंटवॉडा कराने एवं खाते अलग–अलग कराना चाहते है क्योकि संयुक्त रूप से काबिज होना तथा खाता बनाये रखना असंभव हो गया है। इसलिए मजबुरन यह दावा वादिया द्वारा लाया गया है।

वादिया द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई। वादी की तरफ से कोई से कोई गवाह प्रस्तुत नही किये हुए है अन्तिम मौका दिया जाकर वादी की की साक्ष्य बंद की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुख्य रूप से वादियां अधिवक्ता का कथन हे कि वादग्रस्त भूमि वादीयां एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 तक संयुक्त खातेदारी की है जिसमें वादीया का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1–2 व 4–5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 3/10 हिस्सा है। प्रतिवादीगण रोड से सटे भाग पर अकेले काबिज होना चाहते है तथा वादियां को बेदखल कर किमती भूमि को हडपना चाहते है। इसलिए पक्षकारों के बीच माप सीमाओं द्वारा विधिवत् पांति–बंटवाड़ा करा कर वादीयां का हिस्सा अलग किया जावें। हिस्से अनुसार खाते अलग–अलग कायम किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। वादियां के हिस्से में आये भूभाग में काश्त करने फसल लेने एवं उसके उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5 तक स्वंय अथवा परिजन, मित्र, एजेन्ट, रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति से किसी प्रकार कि बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न कर मदाखलत मदामहत नही करने के लिए पाबंद किया जावें।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है लेकिन वह महत्वपूर्ण भाग पर काबिज होना चाहते है तथा वादीयां को बदनियत पूर्वक बेदखल करना करना चाहते है। वादीयां को अपने अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वादीयां का वाद प्रारभिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बंजारिया की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 454 की आराजी नम्बर 2840/2519 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी का 1/5 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1–2 व 4–5 का क्रमशः संयुक्त रूप से 4/8 हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा माफिक हिस्से वादीयां एवं प्रतिवादीगण के बीच भौतिक विभाजन कर खाते पृथक–पृथक कराने का बंटवॉडा फरिश्त 2 परतो में तैयार कर तहसीलदार खैरवाडा पेश करें। बंटवॉडा हेतू तहसीलदार खैरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कोर्ट कमिश्नर कोष्ट 1000 रू वादीयां वहन करेंगे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जाकर वास्ते पालना हेतू तहसीलदार खैरवाड़ा को लिखा जावें।

निर्णय मेरे आज दिनांक 20.01.2023 द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश–02 रूल 6–7 जा. दी.)

अदालत– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
व इजलास– श्री राकेश कुमार च्यौल (R.A.S.)

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी प्रभुलाल जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

–वादीया–

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति–मीणा निवासी–बंजारिया तहसील–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

क्रम संख्या 01 से 06 तक

–प्रतिवादीगण–

दावा – वाद बाबत् घोषणा, पॉति–बंटवॉड़ा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज. भू–अभिधृति अधिनियम

मुकदमा नम्बर– 28/2020 रा0 वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीयां का वाद प्रारभिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बंजारिया की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 454 की आराजी नम्बर 2840/2519 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी का 1/5 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1–2 व 4–5 का क्रमशः संयुक्त रूप से 4/8 हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा माफिक हिस्से वादीयां एवं प्रतिवादीगण के बीच भौतिक विभाजन कर खाते पृथक–पृथक कराने का बंटवॉडा फरिश्त 2 परतो में तैयार कर तहसीलदार खैरवाडा पेश करें। बंटवॉडा हेतू तहसीलदार खैरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कोर्ट कमिश्नर कोष्ट 1000 रू वादीयां वहन करेंगे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जाकर वास्ते पालना हेतू तहसीलदार खैरवाड़ा को लिखा जावें।

मुबलिक – बाबत – खर्चा इस –

मुकदमे –

के मय सुद व शहर –

फसदी सालाना आज की तारिख से तारिख –

वसुलीणबी तक –

का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 27.01.2023

उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा जिला–उदयपुर (राज.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रूपय पैसा		मुदायत रूपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा	4/–रू	स्टाम्प अरजी वकालतनामा	–/–रू
स्टाम्प वकालतनामा	1/–रू	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील (फा.)			
महनताना वकील (फा.)			
बाबत इजराय हुक्मनामा			
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय हुक्मनामा	
फीस कमिश्नर		खर्चा गवाहान	
मुतफरिक	12/–रू	फीस कमिश्नर	
		मुतफरिक	
मीलानः–	17 रू	मीजानः–	–/–रू

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner